भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वर्ष 2015 का नौमनि आदेश संख्या 01

फाइल संख्या सीएस-7(1)/2009-6 दिनांक 13.4.15

विषय: संबंधित समुद्रीय वाणिज्य विभागों (एमएमडी) और संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन – संबंधी.

1. जबकि, यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा गया है) के भाग 15-ए में भारतीय ध्वज वाली मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था है.

2. जबकि, अधिनियम की धारा 435-डी के अनुसार, ऐसी मात्स्यिकी नौका का पंजीयन पत्तन भारत का ऐसा या ऐसे पत्तन होंगे जो कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी राजपत्र में पंजीयन का पत्तन या स्थान घोषित किया हो.

3. जबकि, अधिनियम की धारा 435 ई के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा धारा 435 डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीयन के पत्तन या स्थान के रूप में घोषित हर पत्तन या स्थान पर भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकार के रूप में एक अधिकारी को नियुक्त करेगा (इसके बाद इसे पंजीकार कहा गया है).

4. जबकि, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2013 में, एक अधिसूचना पंजीयन पत्तनों के माध्यम से जारी की थी (साकानि-449 (ई)) दिनांक 02.7.13) और तत्संबंधी पंजीकार भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के लिए अधिसूचित किए गए थे. इस अधिसूचना में, 20 मीटर और इससे अधिक लंबाई वाली भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं से अपेक्षा थी कि ये संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग (एमएमडी) में पंजीकरण करवाएं.

5. जबकि, अधिनियम के भाग 15-ए (मात्स्यिकी नौकाएं) पर प्रयोजनीय धारा 9 (यानी सर्वेक्षकों को नियुक्त करने की

शक्ति) की उप-धारा (1) के प्रावधान पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना साकानि-594 (ई) दिनांक 14.8.14 के माध्यम से किए गए थे.

6. जबकि, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.8.14 की अपनी अधिसूचना साकानि-595 (ई) के माध्यम से उपर्युक्त परिच्छेद 4 में संदर्भित पहले वाली अधिसूचना (यानी साकानि 449 (ई) दिनांक 2.7.13) को अधिक्रमित किया है,

--2

6.1. कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्ति, प्राधिकार या प्रयोग किए जाने योग्य

6.2. पंजीयन पत्तन और भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं हेतु तत्संबंधी पंजीकारों को भी भी भारतीय मात्स्यिकी

6.3. 20 मीटर और इससे अधिक की लंबाई वाली भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं का पंजीकरण करने की आवश्यकता

7. जबकि, भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाएं चाहे वे कितनी भी लंबी क्यों न हों, उनके पंजीयन, सर्वेक्षण, और प्रमाणन से संबंधित का कार्य अब राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के उन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो कि उपर्युक्त दो अधिसूचनाओं की शर्तों में दिए गए होंगे यानी साकानि-594 (ई) दिनांक 14.8.14 और साकानि 595 (ई) दिनांक 14.8.14.

8. जबकि, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राधिकारियों को भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीयन, सर्वेक्षण, और प्रमाणन, वर्तमान पंजीयन से पिछले पंजीयन के प्रलेखों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को अंतरित करने, और भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीयन, सर्वेक्षण और प्रमाणन से संबंधित कार्यों को करने के लिए सर्वेक्षकों की नियुक्ति का कार्य कारगर तरीके से करने में कुछ और समय ले सकते हैं.

9. इसलिए अब, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत संबंधित नए पंजीकार के पास वर्तमान पंजीकार से पंजीयन परिवर्तन करवाने के लिए भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौका स्वामियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों की प्रशासनिक सुविधा हेतु निम्नलिखित निदेश हैं:

9.1. भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन से संबंधित कार्यों को भी संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग (एमएमडी) द्वारा भी किया जाएगा जैसा कि वर्ष 2013 में दिनांक 02.7.2013 की अधिसूचना संख्या साकानि- 449 (ई) के द्वारा अधिसूचित किया गया था, जो कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए पूरी तरह से एक अंतरिम अल्पकालिक उपाय के तौर पर है.

9.2. संबंधित अधिकारक्षेत्र वाली एमएमडी के सर्वेक्षक छह मास की इस अल्पकालिक अवधि में या संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्राधिकारियों द्वारा अपने हाथ में ले लिए जाने की तारीख में से जो पहले हो तब तक के अधिकार क्षेत्र भी संबंधित राज्यों के मात्स्यिकी विभाग के प्रभारी की सरकार के सचिव या संबंधित संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के प्रशासकों द्वारा द्वारा भी अधिनियम के भाग-15-ए के प्रयोजनों से केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रयोग किए जाने योग्य होंगे. उद्योग के सुविधा के लिए अधिसूचित किया गया था. एमएमडी को नहीं है. लिए भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीयन, सर्वेक्षण और प्रमाणन के उत्तरदायित्वों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.

10. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है.

(दीपक शेट्टी)
नौवहन महानिदेशक एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार.